21. श्री दशरथ भाई एम० ठक्कर,
अवैतनिक सचिव,
बम्बई ह्यूमैनिटेरियम लीग,
"दया मन्दिर" (125-127 गुम्बादेवी रोड
बम्बई – 400003 (महाराष्ट्र)

22. मेहसाना जिला पशु कल्याण समिति का प्रतिनिधि,
कापड़ बाजार,
वादनगर – 2384355
(नार्थ गुजरात)

23. असम राज्य पशु क्रूरता, निवारण समिति का प्रतिनिधि, छाबड़ा भवन,
एम० एस० रोड, गौहाटी–81001
(असम)

24. गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि,
नार्थ ब्लाक, भारत सरकार,
नई दिल्ली–110001.

25. डा० अशोक अनन्त पादलकर,
प्रबधक, देयोनार एबोटोयर,
बम्बई नगर निगम, बम्बई ।

26. डा० पी० ए० ब लू
भारतीय पशु-चिकित्सा संघ,
मद्रास ।

Evaluation of research institutes

3315. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether ICAR and other such Institutes are to be evaluated every five years and if so, the names of Institutes which have not been evaluated within one year after the five year period was over and 'reasons therefor;

(b) whether recommendations of the Evaluation Committee were fully implemented within one year of receipt of its reports and if not names of Institutes where these could not be implemented alongwith reasons therefor;

(c) whether recommendations in some cases are pending for over live years and if so, details thereof; and

(d) whether evaluation reports have been made public and if so, the number of copies sold/distributed so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICUL TURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c) The Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) No, Sir, The reports of the Evaluation Team are used only for official purpose.

Merger of NDDB with IDC

3316. SHRI TALARI MANOHAR:
SHRl RAM AWADESH SINGH:

Will the Minister of AGRICUL TURE be pleased to state.

(a) whether Government have taken any decision in respect of enacting a legislation to set up a statutory corporation to take over the functions of the NDDB and into IDC as recommended by Committee on Public Undertaking in 1970 and again in 1986 and later by the high powered L. K. Jha Committee;

(b) whether it is a fact that the IDC-NDDB Chairman is involved in hurried winding up of IDC by transfer of IDC staff to remote places un-authorisedly; and

(c) whether it is also a fact that Government nominees on IDC-NDDB Board have been drastically reduced to help the one-man control on NDDB-IDC Board by the non-official lifelong Chairman?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) The question relating to merger of

Indian Dairy Corporation and National Dairy Development Board is under consideration.

(b) No, Sir.

(c) At present there are two no minees of the Gove-nment of India on the Boards of Directors of Indian Dairy Corporation/National Dairy Development Board.

देहात की रिहायशी जमीन पर डी० डी०ए० के "दांत" शीर्षक से छपा समाचार

3317. **श्री शरद यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1986 के जनसत्ता में "देहात की रिहायशी जमीन पर डी० डी० ए० के दांत" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए इस मामले की कोई जांच करायी गई है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामवासियों को नोटिस जारी किए गए थे और यदि हां, तो ऐसे नोटिस कितनी बार तथा किस-किस तारीख को दिए गए थे :

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाये हैं यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं : और

(घ) 1984 के संशोधित कानून के अधीन ग्रामवासियों को नोटिस जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री दलबीर सिंह**) : (क) जी, हां । राष्ट्रीय राजधानी के सतत विकास को देखते हुए दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए दिल्ली में भूमि का अर्जन किया जा रहा है ।

(ख) भूमि के अधिग्रहण के नोटिस दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए भूमि पिछले कई वर्षों से चरणों में अधिग्रहित की गई है और भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिसूचनाएं व नोटिस समय-समय पर संबधित व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं ।

(ग) दिल्ली के सुनियोजित विकास के अंतर्गत भूमि अधिग्रहीत की जा रही है ।

(घ) निर्धारित समय के भीतर अधिग्रहण के लिए संशोधित भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 तथा 10 के अंतर्गत नये नोटिस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सलाहकार बोर्डों का स्थापित किया जाना

3318. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान में ऐसे क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए एक सलाहकार परिषद के नियुक्त किए जाने का उपबन्ध है, जहां अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखती हो और जिसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो ;

(ख) क्या उन क्षेत्रों में, जहां अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखती है, किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सलाहकार बोड का गठन किया गया है, और

(ग) क्या बिहार के छोटा नागपुर तथा संथाल परगना क्षेत्र में इस प्रकार के सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है; यदि हां, तो क्या बोड कारगर ढंग से कार्य कर रहे हैं, यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : क) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 में, प्रत्येक राज्य में